बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

निदेशक कार्यालय, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

अल्पकालीन निविदा सूचना
सं० 04/2022–23

1– विभाग का नाम– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
2– विज्ञापनदाता का नाम– निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना,
3– निविदा प्रपत्र बिक्री की अन्तिम तिथि : 21–09–2022 के 1.00 बजे अपराह्न तक।
4– निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 21–09–2022 को 2:00 बजे अपराह्न तक
5– निविदा खोलने की तिथि : 21–09–2022 को 3:00 बजे अपराह्न,
6– अग्रधन राशिः निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के दोनों प्रवेश द्वारों पर अवस्थित वाहन/ साईकिल स्टैण्ड की बन्दोबस्ती।	रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये)	पूरे वर्ष की कुल राशि की पचीस प्रतिशत राशि।	रू० 2000/– प्रति।	01–10–2022 से 30–09–2023 तक (एक वर्ष)

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर देखा जा सकता है।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के गेट न० 1 एंव 2 पर अवस्थित वाहन/ साईकिल स्टैण्ड को दिनांक 01–10–2022 से 30–09–2023 तक संचालन हेतु निर्धारित निविदा शर्तें।

1. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के गेट न० 1 एवं 2 के सामने अवस्थित एवं चिन्हित वाहन/ साईकिल स्टैण्ड दिनांक 01–10–2022 से 30–09–2023 (एक वर्ष) तक की अवधि के लिए चलाने हेतु दिनांक 21–09–2022 के 2.00 बजे अपराह्न तक निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. निविदाकर्ता 'तकनीकी बिड' (प्रपत्र 'क') तथा 'वित्तीय बिड' (प्रपत्र 'ख') दो अलग–अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी बिड के लिफाफे पर 'तकनीकी बिड' तथा उसपर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय बिड' के लिफाफे पर 'वित्तीय बिड' लिखकर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' के दोनों लिफाफे रहेंगे उसपर "वाहन /साईकिल स्टैण्ड के लिए निविदा" अंकित कर अपना नाम, पत्राचार का पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करेंगे।

3. प्राप्त निविदाओं का 'तकनीकी एवं वित्तीय बिड' दिनांक 21–09–2022 को 3.00 बजे अपराह्न में निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निदेशक कार्यालय में निविदा समिति द्वारा खोले जायेंगे। यदि कोई निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा। केवल तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्त्ताओं का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा।

4. निविदा का प्रपत्र एवं शर्तों की प्रति निदेशक कार्यालय से रूपये 2000/– (रूपये दो हजार) प्रति की दर से दिनांक 21–09–2022 के अपराह्न 1.00 बजे तक कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) है। पार्किंग क्षेत्र की जानकारी इस उद्यान के वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनस्पति प्रक्षेत्र से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

5. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ निविदा–प्रपत्र क्रय से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे। वेबसाईट से निविदा प्रपत्र अपलोड करने की स्थिति में निविदा–प्रपत्र की राशि रू० 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में होगा, जमा करना होगा।

6. निविदाकर्त्ता को तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 50,000/–(रूपये पचास हजार) अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो पटना में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।

7. निविदाकर्त्ता को तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ अपने पैन कार्ड का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना है। यदि किसी फर्म के नाम से निविदा समर्पित किया जाता है तो निविदा समर्पित करने के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र (मूलरूप में) तथा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फर्म के पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। (मूल प्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

8. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के आयकर रिटर्न (Assessment year 2020-21 & 2021-22) की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। फर्म के नाम पर भरे गए निविदा के लिए फर्म द्वारा जमा आयकर रिटर्न की छायाप्रति जो प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित हो, संलग्न करेंगे। (मूल प्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

कृ०पृ०उ०

9. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ जी०एस०टी० निबंधन का स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। फर्म के नाम पर भरे गए निविदा के लिए फर्म का जी०एस०टी० निबंधन की छायाप्रति जो प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित हो, संलग्न करेंगे। (मूल प्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

10. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित परिसम्पति (Capital asset) जो न्यूनतम रू० 20.00 लाख का हो, की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे। (मूल प्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

11. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। (मूलप्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

12. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित अपना हस्ताक्षर मूलरूप में समर्पित करेंगे।

13. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ नोटरी द्वारा निर्गत मूल शपथ–पत्र जमा करेंगे जिसमें निविदाकर्त्ता इस बात की घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।

14. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ नोटरी द्वारा निर्गत मूल शपथ–पत्र जमा करेंगे जिसमें निविदाकर्त्ता इस बात की घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

(क) निविदाकर्त्ता द्वारा तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजातः–

I- निविदा–प्रपत्र क्रय से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। वेबसाईट से निविदा प्रपत्र अपलोड करने की स्थिति में निविदा–प्रपत्र की राशि रू० 2000/– का निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम का डिमांड ड्राफ्ट।

II- निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 50,000/–(रूपये पचास हजार) अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो पटना में भुगतेय हो।

III- पैन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

IV- वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के आयकर रिटर्न (Assessment year 2020-21 & 2021-22) की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

V- जी०एस०टी० निबंधन का स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।

VI- किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित परिसम्पति (Capital asset) जो न्यूनतम रू० 20.00 लाख का हो, की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

VII- पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

VIII- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्त्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर (मूलरूप में)।

IX- नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।

X- नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

कृ०पृ०उ०

(ख) वित्तीय बिड

निविदाकर्त्ता, क्रय किए गए निविदा प्रपत्र 'ख' पर ही अपना दर साफ–साफ अक्षरों में अंकित करेंगे जो अंक एवं शब्द दोनों में होना चाहिए।

(ग) अन्य शर्तें:–

15. यदि दो या अधिक निविदाकर्त्ता के द्वारा एक ही दर अर्पित किया जाता है तो निविदा का निर्णय पर्ची निकाल कर किया जाएगा।

16. निविदा खोलने अथवा उसके बाद कभी भी यदि यह पाया जाता है कि निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख असत्य, जाली अथवा नकली है तो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। सफल निविदाकर्त्ता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सकता है तथा एकरारनामा को रद्द करते हुए उनके जमानत की राशि को राज्यसात कर कृष्णचिन्हित किया जा सकता है।

17. सफल निविदाकर्त्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा। एकरारनामा के लिए सफल निविदाकर्त्ता को रू० 1000/– का नन्–जुडिशियल स्टाम्प निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही सफल निविदाकर्त्ता को निविदा अवधि (एक वर्ष) की कुल राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर० के रूप में एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में प्लेज्ड होगा।

18. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदाकर्त्ता को स्टैण्ड चलाने की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्त्ता एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा सत्यांकार (अग्रधन) की राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

19. यदि सफल निविदाकर्त्ता द्वारा कंडिका–18 का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में प्रथम सफल निविदाकर्त्ता के सत्यंकार राशि (अग्रधन) को राज्यसात करते हुए, कृष्णचिन्हित किया जा सकता है। प्रथम (उच्चतम) सफल निविदाकर्त्ता के दर पर द्वितीय उच्चतम दर अर्पित करने वाले निविदाकर्त्ता को कार्य दिए जाने पर निविदा समिति विचार कर सकती है।

20. सफल निविदाकर्त्ता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एक माह का अग्रिम किराया निश्चित रूप से जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह का किराया 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिमाह 10 तारीख के बाद भुगतान करने पर 3% वृध्यात्मक (incremental) शुल्क के साथ भुगतान करना अनिवार्य होगा। दो माह तक किराया जमा नहीं किए जाने की स्थिति में संचालक का जमा प्रतिभूति/जमानत राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।

21. सफल निविदाकर्त्ता (वाहन स्टैंड संचालक) निर्धारित अवधि (एक वर्ष) के बीच वाहन स्टैंड का संचालन करने से इंकार नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि राज्यसात कर ली जाएगी।

22. सरकार को देय सभी तरह के वैधानिक करों यथा आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि/देयताओं का भुगतान सफल निविदाकर्त्ता (वाहन स्टैंड संचालक) को अलग से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी संचालक की होगी।

23. समय पर अग्रिम राशि का भुगतान नहीं करने पर वाहन स्टैंड संचालक द्वारा जमा जमानत राशि को राज्यसात करने तथा निविदा रद्द करने का पूरा अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन स्टैंड संचालक के विरूद्ध कोई राशि बकाया रह जाती है तो नीलाम–पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

24. वाहन स्टैंड संचालक को पार्किंग साफ–सुथरा रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना के भागी होंगे एवं इसके संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं संचालक को मान्य होगा।

25. गेट न० 1 पर वाहन स्टैंड के अन्दर अवस्थित शौचालय को साफ–सुथरा रखने की जिम्मेवारी संचालक की होगी जिसका निरीक्षण उद्यान के पदाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर किया जाएगा। शौचालय गंदा पाये जाने पर संचालक दंड के भागी होंगे।

कृ०पृ०उ०

26. वाहन स्टैंड संचालक को यह अधिकार होगा कि उपर्युक्त स्टैण्ड में वाहन /साईकिल रखने वालों से निम्नवत् दर से राशि वसूल कर सकेंगे :–

वाहन का प्रकार	दर (4 घंटे के लिए)	अभियुक्ति
साईकिल	रू० 5/–	प्रस्तावित दर 4 घंटे के लिए मान्य होगा। 4 घंटे से अधिक समय होने पर उद्यान बंद होने के समय तक के लिए निर्धारित दर का दुगुना।
मोटर साईकिल/ स्कूटर	रू० 15/–	
कार/जीप	रू० 40/–	
भारी वाहन (बस) ।	रू० 200/–	

27. वाहन स्टैण्ड संचालक प्रातःकालीन पासधारक भ्रमणकर्त्ताओं को निम्नांकित दर पर मासिक पास निर्गत कर सकेंगेः–

वाहन का प्रकार	दर			
	मासिक	त्रैमासिक	अर्द्धवार्षिक	वार्षिक
साईकिल	50/–	135/–	250/–	450/–
मोटर साईकिल/ स्कूटर	300/–	600/–	900/–	1200/–
कार/जीप	600/–	1000/–	1600/–	2100/–

28. संचालक को दोनों स्टैण्ड के निकट **दो–दो बड़े साईज के पट्ट पर दर तालिका** लगाना होगा जिसपर इस शर्त की कंडिका–26 एवं 27 में दर्शाया गया दर साफ–साफ अंकित करना होगा।

29. संचालक, स्टैण्ड के संचालन के लिये निर्धारित दर का टिकट स्वयं छपवायेंगे एवं अपना कर्मचारी रखकर स्टैण्ड का संचालन करेंगे। स्टैण्ड में रखे गये कर्मचारियों का पूरा पता संचालक निदेशक कार्यालय में देंगे तथा उनके प्रत्येक गतिविधि की जिम्मेवारी संचालक की होगी।

30. संचालक, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनस्पति प्रक्षेत्र द्वारा सत्यापित टिकट का ही उपयोग वाहन स्टैंड में करेंगे। इसके लिए संचालक टिकट छपवा कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनस्पति प्रक्षेत्र से सत्यापित करायेंगे। बिना सत्यापन के टिकट का उपयोग किए जाने पर संचालक दंड के भागी होंगे जिसमें निविदा का रद्द किया जाना भी शामिल है। उपयोग किए गए टिकट के अद्यकट्टी को वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनस्पति प्रक्षेत्र के कार्यालय में जमा करेंगे।

31. संचालक अपने खर्च पर वाहनों को स्टैंड में प्रवेश कराने के पूर्व मेटल डिटेक्टर से जाँच करेंगे तथा स्टैंड परिसर में सी.सी.टी.वी. अवश्य स्थापित करेंगे।

32. वाहन स्टैण्ड से किसी तरह के वाहन की चोरी होने अथवा खो जाने पर पूरी जिम्मेवारी संचालक की होगी तथा वाहन मालिक को हर्जाना का भुगतान संचालक के द्वारा ही करना होगा।

33. संचालक दोनों गेटों के बाहर उद्यान की अनुमति से लगाये गये ठेला से किसी प्रकार की वसूली नहीं करेंगे और न ही इसपर कोई दावा/विवाद करेंगे।

34. वाहन स्टैण्ड का निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली एवं शौचालय की गंदगी की शिकायत मिलने एवं दोषी पाये जाने पर प्रत्येक दोष के लिए संचालक दण्ड के भागी होंगे। प्रत्येक दोष के लिए दण्ड की राशि न्यूनतम रू० 5000/– (पाँच हजार रूपये) होगी।

35. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को अधिकार होगा कि निविदा की शर्तो के उल्लंघन के आरोप में अथवा एक माह के अग्रिम सूचना पर बिना कारण बताये सफल निविदा को रद्द कर सकते हैं।

36. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्त्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तो को स्वीकार करते हैं।

37. किसी भी विवाद के निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।

38. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत कर दें।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

दिनांक 01–10–2022 से 30–09–2023 तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 एवं 2 पर अवस्थित एवं चिन्हित वाहन/साईकिल स्टैण्ड की बन्दोबस्ती हेतु तकनीकी बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'क'

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदात्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदादात्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। वेबसाईट से निविदा प्रपत्र अपलोड करने की स्थिति में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट।		
2	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रू० 50,000/– (रूपये पचास हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।		
3	पैन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के आयकर रिटर्न (Assessment year 2020-21 & 2021-22) की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
5	जी०एस०टी० निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
6	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित न्यूनतम 20.00 लाख रूपये मात्र की परिसम्पत्ति (Capital asset) की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
7	पता और पहचान–पत्र से संबंधित स्वःहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।		
8	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर (मूलरूप में)।		
9	नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।		
10	नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।		

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर
पूरा पताः–

नोटः– क्रमांक 1 एवं 3 से 7 तक का मूलप्रति
तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा।

दिनांक 01–10–2022 से 30–09–2023 (एक वर्ष) तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 एवं 2 पर अवस्थित एवं चिन्हित वाहन/साईकिल स्टैण्ड की बन्दोबस्ती हेतु वित्तीय बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'ख'

प्रेषक,

नामः–
पिता का नामः–

पत्राचार का पताः–
दूरभाष/ मोबाईल संख्या–

सेवा में,

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 एवं 2 पर अवस्थित एवं चिन्हित वाहन/साईकिल स्टैण्ड दिनांक 01–10–2022 से 30–09–2023 तक संचालन हेतु मैं रूपये............... (रूपये...) प्रतिमाह का दर अर्पित कर रहा हूँ।

2– उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

3– यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 17 के अनुसार निविदा अवधि की कुल राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमानत राशि के रूप में जमा करूंगा।

4– मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका विश्वासी,